


कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::संशोधन आदेश::


इस कार्यालय के आदेश क्रमांक: शिविरा-मा./संस्था/बी-2/एसबीसिया/अमित गर्ग/20452/2019 दिनांक: 13.12.2019 द्वारा श्री अमित गर्ग, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बिशनगढ़, शाहपुरा जिला जयपुर को माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर से याचिका संख्या 20452/2019 में स्थगन प्राप्त कर लेने के फलस्वरूप राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बिशनगढ़, शाहपुरा जिला जयपुर में माननीय न्यायालय के याचिका में पारित आगामी/अन्तिम निर्णयाधीन यथावत पदस्थापित किया गया था। उक्त आदेश में सहवनवश श्री गर्ग को अपनी आगामी उपस्थिति कार्यालय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर संभाग, जयपुर में दिये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। अतः आदेश में श्री अमित गर्ग के स्थान पर श्री सूणाराम यादव को अपनी आगामी उपस्थिति कार्यालय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर संभाग, जयपुर में दिये जाने का संशोधित आदेश पढा जावे।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक: शिविरा-मा./संस्था/बी-2/एसबीसिया/अमित गर्ग/संशो./20452/2019 दिनांक: 18.12.19
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर/उदयपुर संभाग, जयपुर/उदयपुर।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जयपुर/बांसवाडा।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक, जयपुर/बांसवाडा।
6. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. सम्बन्धित प्रधानाचार्यों को आदेश की पालनार्थ।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक(कार्मिक)